रजि न.

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी	अक्षय गोदारा आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.60 / प्रा.पत्र / 2024 (GCMS No. 2024 / 109)	13.08.2024	02.09.2024

श्री लवली यादव आ. पप्पूलाल यादव,
निवासी ग्राम पराना, ग्राम पंचायत बुधपुरा, जिला बून्दी।

– प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक,
जिला रसद कार्यालय, बून्दी (जिला बून्दी)

– अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति –
प्रार्थी की ओर से श्री अमर सिंह राठौड, एडवोकेट।
अप्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक (रसद)

निर्णय

जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अवगत कराया था कि दिनांक 10.04.2024 को जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा थाना डाबी से प्राप्त सूचना पर धनेश्वर टोल नाके से जब्त सफेद रंग की ऑल्टो कार RJ28 CA 5038 में 08 ड्रम में 350 लीटर पेट्रोल व गाडी के संबंध में जांच की गई। जिसमें जांच अनुसार प्रथमदृष्टया अवैध पेट्रोलियम पदार्थ (MS) भरा होना प्रतीत होता, जो पकड़े गये वाहन चालक के बयानों से भी मेल खाता है। उक्त पेट्रोलियम पदार्थ की डेन्सिटी 735.3 से 747.1 मापी गई। फर्द मौका तैयार कर ऑल्टो कार RJ28 CA 5038 मय 350 लीटर संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ को अधिग्रहित कर माल खाना इन्चार्ज की सुपुर्दगी में दिया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट 75 / 2024 थाना, डाबी में दर्ज करवायी गई। जिला रसद अधिकारी बून्दी द्वारा जब्त किये गये उक्त पेट्रोलियम पदार्थ का आवश्यक

जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुनवाई कर निस्तारण किये जाने हेतु कार्यवाही पेश की गई थी। प्रा0पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 02/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2024/64 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। तत्पश्चात् मामलें में बहस उभयपक्ष सुनी जाकर प्रकरण में दिनांक 22.07.2024 को निर्णय पारित किया जाकर जिला रसद अधिकारी, बून्दी उक्त जब्तशुदा 350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को थानाधिकारी, पुलिस थाना डाबी से तत्काल प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा कर, पालना से अविलम्ब अवगत कराने के निर्देश दिये गये। उक्त प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु प्रार्थी श्री रोशनसिंह आ. मानसिंह राजपूत निवासी डोल्या द्वारा पेश प्रार्थना पत्र संख्या 47/2024 आदेश दिनांक 22.07.204 से प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण नहीं होने से अस्वीकार किया गया था।

प्रार्थी श्री रोशनसिंह आ. मानसिंह राजपूत निवासी डोल्या प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो जाना अंकित करते हुये हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 60/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2024/109 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना डाबी से केस डायरी तलब की गई।

तत्पश्चात् मामलें में बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। अब अनुसंधान अधिकारी को उक्त वाहन की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है तथा उक्त वाहन के थाने में रहने से उसके पार्टस खराब होने का पूरा अंदेशा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वाहन ऑल्टो कार RJ28 CA 5038 प्रार्थी की सिपुर्दगी में दिये जाने का आदेश फरमावे।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने में उनको आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया।

न्यायालय ने हस्तगत पत्रावली तथा मूल प्रकरण 2/रेगूलर/2024 सरकार बनाम लवली यादव निर्णय दिनांक 22.07.2024 का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। जिससे जाहिर आया कि दिनांक 09.04.2024 को धनेश्वर टोल नाके पर जब्त सफेद अल्टो कार RJ28 CA 5038 में 08 ड्रम में भरे 350 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ के संबंध में वाहन चालक द्वारा संतोषप्रद जवाब एवं कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जाने से उक्त कार मय 350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ थाना डाबी द्वारा जब्त की गई। जिला रसद

जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

अधिकारी, बून्दी की जांच में उक्त पेट्रोलियम पदार्थ संदिग्ध पाया गया। मौका बयान में भी अप्रार्थी द्वारा इस अवैध पेट्रोलियम भंडारण की पुष्टि हुई। इस प्रकार अप्रार्थी के पास उक्त पदार्थ के परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज व लाईसेंन्स नहीं होने से अप्रार्थी द्वारा उक्त पदार्थ का अवैध तरीके से कार में भरकर परिवहन करना, भण्डारण करना तथा उसकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाये जाने से जब्तशुदा 350 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ राजसात किये जाने के आदेश प्रकरण संख्या 2/2004 बउनवान सरकार बनाम लवली यादव में दिनांक 22.07.2024 में पारित किया जा चुका है।

वाहन मालिक द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में थानाधिकारी पुलिस थाना, डाबी से प्राप्त केस डायरी 75/2024 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि कि प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। अब अनुसंधान अधिकारी को उक्त वाहन की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है तथा उक्त वाहन के थाना परिसर में खडा रहने से उसके पार्टस खराब होने का पूरी संभावना है। ऐसे में सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जप्तशुदा वाहन ऑल्टो कार RJ28 CA 5038 को प्रार्थी की सुपुर्दगी में 05 लाख के जमानत नामा व सुपुर्दगी नामा पर देने का आदेश निम्न शर्तो की पालना के अध्यधीन दिया जाता है :-

1. वाहन को रहन/बेचान नहीं करेगा।
2. बीमा अवधि समाप्त होने के पूर्व वाहन का बीमा रिन्युअल करवायेगा।
3. वाहन का रंगरोगन परिवर्तित नहीं करेगा।
4. जब भी न्यायालय वाहन को तलब करेगा, अपने खर्चे पर साक्ष्य हेतु पेश करेगा

आदेश आज दिनांक 02.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी